न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

दाखिल–खारीज रिविजन वाद– 65/2012

नारायण स्वर्णकार वनाम प्रमोद स्वर्णकार

–:: आदेश ::–

29.1.18

प्रस्तुत दाखिल रिविजन वाद संख्या–65/12 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा दाखिल–खारीज अपील वाद संख्या–02/11 में पारित अंतिम आदेश के खिलाफ दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल सबूत कागजात एवं लिखित बहस का नजर अंदार करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा एवं अंचलाधिकारी, सोनवर्षा ने दाखिल–खारीज अपील 02/11 एवं दाखिल खारीज वाद संख्या–1604/2009–10 में लगत, नाजायत ढ़ंग से प्रत्यार्थी प्रमोद स्वर्णकार के नाम से जमाबंदी कायम किया जिस आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने भी अंचलाधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को गलत ढ़ंग से बिना गहन जाँच किए हुए सही माना।

विवादित भूमि का विवरण :– मौजा–सोनबर्षा, थाना नं0–11, तौजी नं0–674, पुराना खाता–186, पुराना खेसरा–24 वं 27 (बकासत)

यह कि वैशाखी स्वर्णकार उर्फ सौखी स्वर्णकार का एक वंशवृक्ष वास्ते सुविधा नीचे दिया जा रहा है :–

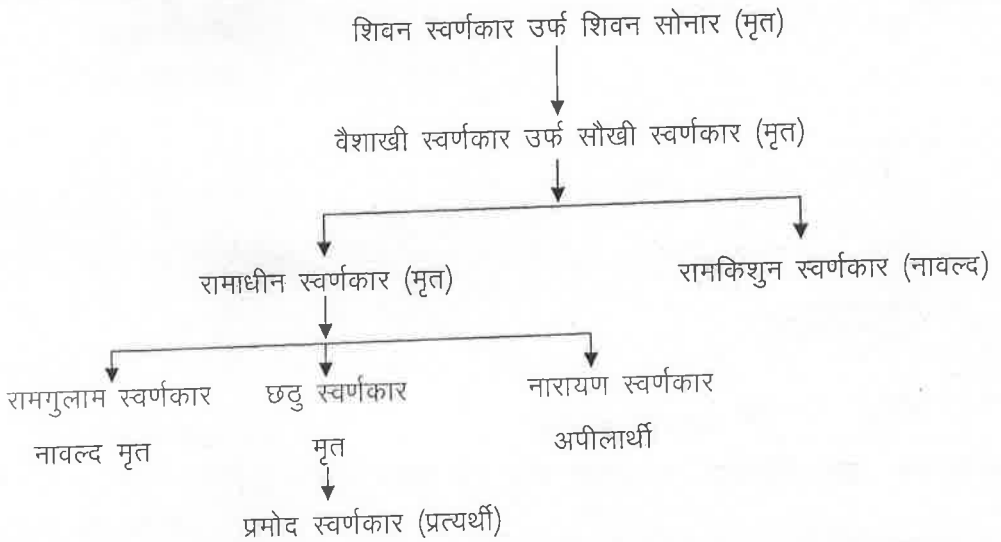

यह कि रामकिशुन स्वर्णकार अपने जीवनकाल में ही नारायण स्वर्णकार के पत्नी की सेवा और टहल से खुश होकर अपने हक, हिस्से वाली एराजी वजरिये दान–पत्र श्रीमती मीना देवी पति नारायण स्वर्णकार को 6–02–2006 को दान कर दिया वो मीना देवी ने उक्त दान वाली सम्पत्ति को लेना स्वीकार किया वो उक्त एराजी पर मीना देवी हकदार वो दखलकार चली आ रही है।

यह कि मौजा–मजकुर में हाल सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई वो हाल सर्वे कार्यवाही के दौरान रोजगार के सिलसिले में रामकिशुन स्वर्णकार गांव से बाहर थे वो उक्त एराजी का हाल सर्वे रामाधीन स्वर्णकार के नाम से हो गया।

यह कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में अपना सभी सही कागजात सूची के साथ दाखिल किया लेकिन माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा हम अपीलार्थी के सभी सबूत कागजात को नजर–अंदाज करते हुए दाखिल खारिज अधिनियम की धारा – 2011 की धारा – 3 एवं 4 में वर्णित सबूत कागजात की अनुलब्धता एवं किसी और पंचनामा बटवारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा डिग्री या आदेश का अंचलाधिकारी, सोनबर्षा ने प्रत्यर्थी प्रमोद स्वर्णकार के नाम से दाखिल खारिज का आदेश पारित कर दिया वो अपीलीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता हम अपीलार्थी द्वारा दाखिल सबूत एवं लिखित बहस का नजर अंदाज करते हुए अवैध एवं गलत ढ़ंग से दाखिल खारिज वाद संख्या 2011 को खारिज कर दिया।

28.1.18

प्रतिपक्षी का कथन है कि उक्त खाता नया–685, खेसरा नया–1967 रकवा–0.2 डि0 वो खेसरा नया – 1968, रकवा–06 डी0 कुल – 08 डि0 जमीन नाम से राम अधीन सोनार पिता सोखी सोनार हाल सर्वे फाईनल खतियान 19 अगस्त, 1976 को फाईनल हुआ जिसपर 05 दिसम्बर 1976 बन्दोवस्ती बन्दोवस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है, जिसका 41 वर्ष होता है, जिसका आज तक कोई चाईलेंज नहीं किया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सहरसा के न्यायालय में दाखिल किये निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा ने भी अपने स्तर से विवादि जमीन का स्थल जाँच करवाये तो पाये कि विपक्षी प्रमोद स्वर्णकार का पारिवारिक पक्का छतदार मकान है इसके पश्चिम भाग में अपीलार्थी नारायण स्वर्णकार का आवासीय पक्का छतदार मकान बना हुआ है। दोनों परिवार का आवागमन का रास्ता अलग–अलग बना हुआ है। अपने –अपने हिस्सा की जमीन पर दखलकार हैं।

सुना अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त भूमि पर रिविजनल सर्वे को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गयी है तथा स्थलीय जाँच में भी प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष का आवासीय छतदार पक्का मकान अवस्थित है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपील अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

29.1.18

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

29.1.18

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 04-2 / न्याया0, सहरसा, दिनांक 29-01-2018

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
29.01.018